

**FORM-I**  
(for Linear Projects)  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector, Chamoli**

No. /

Dated : 06 / 04 / 2016


**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 0.810 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of kurud to kundbagad moter Road** falls within jurisdiction of kurud and kundbagad Villages in ghat Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.810 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

  
 06/04/16  
 District Magistrate  
 Chamoli (Uttarakhand)  
 जिलाधिकारी  
 चमोली




**Office of the District Collector,  
District-Chamoli (Uttarakhand)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes &  
Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act )FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri <sup>VINOD KUMAR SUMAN</sup> District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 06-04-2016. At 17:00 hrs at Chamoli in which the application claiming rights in villages khadgoli kameda of Tehsil-karanprayag, area Measuring 0.810 Hectares for the **Construction of Road kurud to kundbagad Motor Road** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

  
06.04.16  
District Magistrate –cum-  
Chairman, District Level  
Committee, Chamoli

**जिलाधिकारी**  
**चमोली**

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड धाट में धाट राजगी मोटे मार्ग के ग्राम कुरु से कुडवागड तक मोटे मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण- पत्र

उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड.....धाट.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत.....कुरु से कुडवागड तक मोटे मार्ग का निर्माण.....हे० आरक्षित वन भूमि.....०.४१०.....हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि.....०.४१०.....हे० वनपंचायत भूमि, अर्थात् कुल.....०.४१०.....हे० वनभूमि का .....ले. नि. नि......प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय समिति (तहसील.....धाट.....) की दिनांक.....१-०४-२०१६.....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1:- श्री रामजी शरण शर्मा ..... उपजिलाधिकारी ..... अध्यक्ष
- 2:- श्री शिवानन्द सुमन ..... उपप्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य
- 3:- श्री मोहनसिंह मीश्रा ..... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ..... सदस्य
- 4:- श्री मालकान्त पुरोहित ..... वनाधिकारी समिति सदस्य ..... सदस्य
- श्री महिपाल सिंह नेगी ..... वनाधिकारी समिति सदस्य ..... सदस्य
- श्री सुशीला देवी ..... वनाधिकारी समिति सदस्य ..... सदस्य



उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कूड जे कूडवाड तक मोटर मार्ग का निर्माण

परियोजना हेतु 0.81.0 हे०, वनभूमि लो. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुभांसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी जोपेराबा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत कूड जे कूडवाड तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.81.0 हे० वनभूमि लो. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति  
तहसील धाट  
जनपद चमोली

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवभयक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति  
तहसील धाट  
जनपद चमोली



परियोजना का नाम:- जनपद चामोली के विकास खण्ड धाट में धाट-रामगी मोटर मार्ग के ग्राम कुरु में कुडवाड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम... कुरु मन्दावे कुडवाड

तहसील... धाट जिला... चामोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चामोली अन्तर्गत कुरु से कुडवाड तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु...X... हे० आरक्षित वनभूमि...०.४१०... हे० सिविल सोयमभूमि...X... हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल...०.४१०... हे० वनभूमि का...लो. नि. नि. वि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुरु मन्दावे द्वारा दिनांक 24-02-16 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुरु के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो. नि. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत  
हो/दि/आयका  
ग्राम पंचायत  
24/2/16

प्रधान, ग्राम पंचायत कुरु  
हो/दि/आयका  
वि. ख० धाट (चामोली)

हो/दि/आयका  
ग्रामसदिव  
ग्राम पंचायत

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



ग्रामपंचायत... कृष्ण मध्यम र कृष्णवर्ण

प्रमाण, ग्राम पंचायत कुल्ह  
३०  
दि. ३० मार्च (बनोली)

प्रधान ग्राम पंचायत मधकोट  
वि० ख० वाट चमोटे